प.किशोरी लाल शुक्ला विधि
विधि महाविद्यालय राजनाद्

राजनांदगांव (छ.ग.)

स्थापना वर्ष - 1959

नांदगांव शिक्षा मंडल द्वारा संचालित
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) से संबद्ध
बार कॉंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से मान्यता

" तीन वर्षीय सेमेस्टर सिस्टम एल.एल.बी. विधि स्नातक "

इंग्लिश एवं हिन्दी मीडियम

महाविद्यालय विवरण पत्रिका

सत्र 20 -20

महाविद्यालय के समस्त विद्यार्थियों को परिचय पत्र प्रतिदिन लाना अनिवार्य है।

Mob:. 97541-63463
Mob:. 99932-94532
wedside : https://ptklslawcollege.com/
Email. ID : lawcollegerjn@gmail.com

Nimisha

डॉ. निमिषा मिश्रा
प्राचार्य

प्रवेश आवेदन के साथ विवरण पत्रिका का मूल्य 200.00

पदक वितरण समाहरोह 2025

महाविद्यालय में 2024 के प्रवीण सूची में आने वाले मेधावी छात्र

NISHI SONI
(H.Y.U. Rank 1)

NEHA JHA
(H.Y.U. Rank 2)

PRITI SAHU
(H.Y.U. Rank 3)

NETAL GANDHI
(H.Y.U. Rank 5)

RIYA JAIN
(H.Y.U. Rank 6)

VANI SHARNA
(H.Y.U. Rank 7)

VANDANA GAREWAL
(H.Y.U. Rank 8)

अनुक्रमणिका

क्र.	विवरण	पेज नं.
1.	महाविद्यालय का संक्षिप्त इतिहास	1
2.	प्राचार्य का संदेश	2
3.	अध्यक्ष का संदेश	3
4.	सचिव का संदेश	4
5.	प्रशासक का संदेश	5
6.	प्रवेश संबंधी औपचारिकताएं व नियम	7
7.	अध्यापन शुल्क का विवरण	11
8.	विधि महाविद्यालय के प्राध्यापको के नाम	12
9.	पाठ्यक्रम की जानकारी	13
10.	महाविद्यालय के गौरव	16
11.	महाविद्यालय गतिविधियाँ	17

पं. किशोरी लाल शुक्ल विधि महाविद्यालय, राजनांदगांव (छ.ग.)
महाविद्यालय का संक्षिप्त इतिहास (प्रारंभ से आज तक)

वर्ष 1959 में दिग्विजय महाविद्यालय में विधि का अध्यापन एक अलग संकाय के रूप में प्रारंभ हुआ। पं. किशोरीलाल जी शुक्ल दिग्विजय महाविद्यालय के प्राचार्य थे। विधि के अध्यापन में उस समय सर्व. श्री राजकुमार शुक्ल, श्री अब्दुल लतीफ, श्री बी.एन.राय, श्री पी.सी. कांकरिया, श्री शरद कोठारी, श्री सुरेन्द्रनाथ ठाकुर, श्री डब्ल्यू.वाई. राजिमवाले आदि अधिवक्ताओं का सहयोग मिला। पं. किशोरी लाल जी शुक्ल विधि संकाय में अध्यापन कार्य भी करते थे और नांदगांव शिक्षा मण्डल के प्रथम अध्यक्ष भी रहे।

वर्ष 1967 में एक अलग विधि महाविद्यालय अपने अस्तित्व में आया। श्री बी.एन. राय प्रथम प्राचार्य बने । श्री एन.बी. जैन, श्री चन्द्रकांत तिवारी वरिष्ठ प्राध्यापक रहे।

स्व. पं. किशोरीलाल जी शुक्ल, स्व. श्री रामनिवास जी सारडा, भूतपूर्व प्राचार्य स्व. श्री बी.एन.राय की प्रेरणा एवं अथक परिश्रम से विधि महाविद्यालय का स्वयं का भवन जी.ई.रोड में निर्मित हुआ। किसी भी विधि महाविद्यालय के लिए स्वयं का भवन होना गौरव की बात है।

11 दिसम्बर 1994 को पंडित किशोरीलाल शुक्ल जी का दुःखद देहावसान हुआ।उनके सहयोग एवं प्रेरणा को चिरस्थायी बनाने के लिए नांदगांव शिक्षा मंडल ने विधि महाविद्यालय का नामकरण उनके नाम से किया। पंडित शुक्ल जी के देहावसान के बाद एवं श्री अटल बिहारी दुबे जी नांदगांव शिक्षा मण्डल के अध्यक्ष बने स्व. दुबे जी के पश्चात् स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व. श्री कन्हैया लाल जी अग्रवाल अध्यक्ष निर्वाचित किए गए तद्पश्चात स्वं. गिरीश शुक्ला जी अध्यक्ष निर्वाचित हुए, किन्तु श्री गिरीश शुक्ला जी के देहावसान के बाद सूरेश एच. लाल वर्तमान अध्यक्ष के रूप में दायित्वाधीन हूँ।

राजनांदगांव के तत्कालीन सांसद डॉ. रमन सिंह द्वारा अपनी क्षेत्रीय विकास निधि से प्रदत्त 1,00,000/- (एक लाख रूपये) एवं महाविद्यालय द्वारा 65000 रूपये व्यय करके एक पुस्तकालय एवं वाचनालय भवन का निर्माण महाविद्यालय परिसर में वर्ष 2002 में पूर्ण किया गया। इस पुस्तकालय एवं वाचनालय भवन का नामकरण महाविद्यालय के 1967 से लगातार 1992 तक प्राचार्य का दायित्व निर्वाह करने वाले स्व श्री बी.एन. राय के नाम पर किया गया । यह पुस्तकालय विधि के सभी उपांगों से संबंधित श्रेष्ठ पुस्तको एवं विधि संबंधी पत्र - पत्रिकाओं से सुसज्जित है।

पं. किशोरीलाल शुक्ल विधि महाविद्यालय अंचल के प्राचीनतम विधि महाविद्यालय में है। इस लम्बे सफरनामे में पं. किशोरीलाल शुक्ल विधि महाविद्यालय ने अनेक कीर्तिमान स्थापित किये हैं और विधि अध्यापन के क्षेत्र में इस महाविद्यालय ने अपना विशिष्ट स्थान बनाया है।ये गर्व के साथ उल्लेखित करना चाहूंगा कि इस महाविद्यालय में पढ़े छात्र आज छत्तीसगढ के न्याय प्रशासन के विभिन्न उच्च पदों को सुशेभित कर रहे हैं । ऐसे मेघावी छात्रों की संख्या असंख्य है । इस महाविद्यालय का भविष्य अनन्य अपेक्षाओं एवं आकांक्षाओं से भरा पूरा है

श्री सुरेश एच.लाल.
अध्यक्ष
नांदगांव शिक्षा मंडल राजनांदगांव

प्राचार्य का संदेश

प्रिय अभिभावकगण, छात्रगण और पंड़ित किशोरीलाल शुक्ल विधि महाविद्यालय परिवार के शुभचिंतकों आप सभी को हार्दिक बधाई। मैं बड़े गर्व, विनम्रता और कृतज्ञता के साथ आपका हमारे जीवंत शैक्षणिक समुदाय में स्वागत करती हूँ। मैं उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ जो हमारे संस्थान के विजन और मिशन का समर्थन प्रोत्साहन करते रहते हैं। हमारे प्रयासों में आपका विश्वास हमें नई ऊर्जा और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ने की शक्ति देता है।

पंड़ित किशोरीलाल शुक्ल विधि महाविद्यालय में हम मानते हैं कि शिक्षा केवल ज्ञान का हस्तांतरण नहीं है। यह ज्ञान की खेती चरित्र का निर्माण और व्यक्ति की वास्तविक क्षमता का जागरण है। हमारा ध्यान केवल अकादमिक उत्कृष्टता पर ही नहीं हैं बल्कि जिम्मेदार नागरिकों नैतिक पेशेवरों और दयालु मनुष्यों का पोषण करने पर है जो एक गतिशील दुनिया की मांगों को पूरा करने के लिए सुसज्जित हैं।

हमारा उद्देश्य एक ऐसा पोषण करने वाला वातावरण बनाना है जहॉ नवाचार को प्रोत्साहित किया जाता है व्यक्तित्व का सम्मान किया जाता है और प्रत्येक शिक्षार्थी को बड़े सपने देखने और लगन से काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। चाहें कक्षाएं हों प्रयोगशालाएं हो खेल के मैदान हो या सांस्कृतिक स्थान हों हमारे छात्रों को लगातार खोज करने अभिव्यक्त करने और उत्कृष्टता प्राप्त करने की चुनौती दी जाती है।

मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमारे कॉलेज ने उत्कृष्टा की संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। आधुनिक शिक्षण अधिगम पद्धतियों को कालातीत मूल्यों के साथ एकीकृत करना हमारे दृष्टिकोण के मूल में है। हमारे समर्पित संकाय सदस्य अत्याधुनिक बुनियादी ढॉचा और छात्र केन्द्रीत लोकाचार यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे परिसर में प्रवेश करने वाला प्रत्येक व्यक्ति व्यापक दिमाग और पूरे दिल से जाए।

भविष्य उनका है जो इसके लिए आज तैयारी करते हैं। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम अपने सामूहिक प्रयासों में विश्वास अपने मिशन में आशा और हमारे गलियारों में चलने वाले उज्जवल दिमागों में विश्वास के साथ ऐसा करते हैं। आइए हम इस यात्रा को एक साथ जारी रखें। माता-पिता छात्र संकायपूर्व छात्र और शुभचिंतक किशोरीलाल शुक्ल विधि महाविद्यालय न केवल शिक्षा का स्थान है बल्कि समाज के लिए प्रकाश का एक स्तम्भ है। ज्ञान का एक आधुनिक मंदिर जो परिश्रम भक्ति और समर्पण से आकार लेता है।

आप सभी को आगे की यात्रा में सफलता पूर्णता और विकास की शुभकामनाएॅ। सौजन्य सहित

Nimisha

डॉ. निमिषा मिश्रा
प्राचार्य
पं. किशोरीलाल शुक्ल विधि महाविद्यालय

अध्यक्ष का संदेश

पंड़ित किशोरीलाल शुक्ल विधि महाविद्यालय राजनांदगांव

मुझे पं. किशोरीलाल शुक्ल विधि महाविद्यालय में आपका स्वागत करते हुए बहुत गर्व और खुशी हो रहा है यह एक ऐसा संस्थान है जो कानूनी शिक्षा ईमानदारी और राष्ट्र निर्माण में उत्कृष्टता के लिए खड़ा है । हमारा उद्देश्य हमेशा से न केवल कुशल कानूनी पेशेवरों का पोषण करना रहा है बल्कि ऐसे जिम्मेदार नागरिक तैयार करना है जो न्याय नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी को बनाए रखें।

आज कानूनी शिक्षा कानून के शासन और लोकतांत्रिक मूल्यों द्वारा शासित समाज को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे कॉलेज में हम सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक प्रशिक्षण का एक समृद्ध मिश्रण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो हमारे छात्रों को आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ आधुनिक दुनिया की कानूनी चुनौतियों का सामना करने के लिए सशक्त बनाता है।

हमारे समर्पित संकाय गतिशील पाठ्यक्रम और मूटिंग कानूनी सहायता अनुसंधान और इंटर्नशीप पर जोर यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक छात्र कानूनी प्रणाली की व्यापक समझ हासिल करे। हमारा मानना है कि शिक्षा केवल डिग्री हासिल करने के बारे में नहीं है बल्कि जीवन को बदलने और समाज में सार्थक योगदान देने के बारे में हैं।

अध्यक्ष के रूप में मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि कॉलेज शैक्षणिक ईमानदारी और पेशेवर विकास के उच्चतम मानकों को बनाए रखना जारी रखेगा। हम वैश्विक मानदंडों को पूरा करने के लिए लगातार विकसित हो रहे हैं और अपने छात्रों को न्यायपालिका वकालत कॉर्पोरेट कानून सार्वजनिक सेवा और शिक्षा जगत में करियर के लिए तैयार कर रहे है । मैं सभी महत्वाकांक्षी कानून के छात्रों अभिभावकों और हितधारकों को ज्ञान न्याय और सामाजिक परिवर्तन की इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूँ। शुभकामनाओं के साथ

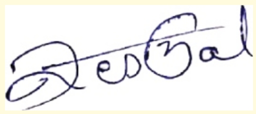

सुरेश एच.लाल
अध्यक्ष
नांदगांव शिक्षा मण्डल, राजनांदगांव

सचिव का संदेश

पं. किशोरीलाल शुक्ल विधि महाविद्यालय, राजनांदगांव

पं. किशोरीलाल शुक्ल विधि महाविद्यालय, में हम मानते हैं कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का साधन नहीं है , बल्कि व्यक्तियों, समुदायों और बड़े पैमाने पर समाज के परिवर्तन का एक शक्तिशाली उपकरण है। कॉलेज के सचिव के रूप में, मुझे कानूनी शिक्षा के क्षेत्र में हमारे संस्थान की यात्रा का मार्गदर्शन करने वाले मूल्यों और दृष्टि पर बहुत गर्व है।

हमारी प्रतिबद्धता अकादमिक उत्कृष्टता से परे है, हम अपने छात्रों में कानून के प्रति गहर सम्मान, नैतिकता की मजबूत भावना और न्याय के लिए खड़े होने का साहस पैदा करने का प्रयास करते हैं। कक्षा में सीखने, व्यावहारिक प्रदर्शन और सह-पाठयक्रम गतिविधियों के संतुलित मिश्रण के माध्यम से, हमारा लक्ष्य जिम्मेदार कानूनी पेशेवरों को आकार देना है जो कानूनी प्रणाली और राष्ट्र में सार्थक योगदान दे सकते हैं।

हम अपने शैक्षणिक संसाधनों को बढ़ाने, जांच की संस्कृति को बढ़ावा देने और एक ऐसा माहौल बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहें हैं जो आलोचनात्मक सोच , नेतृत्व और सार्वजनिक सेवा को बढ़ावा देता है। हमारे संस्थान में उठाया गया हर कदम ऐसे वकीलों को तैयार करने के हमारे लक्ष्य के अनुरूप है जो न केवल कुशल और जानकार हों बल्कि सामाजिक रूप से जागरूक और साहानुभूतिपूर्ण भी हों।

हमारे हितधारकों-छात्रों, अभिभावकों, संकाय, पूर्व छात्रों और कानूनी बिरादरी का विश्वास और सहयोग-हमारे कॉलेज की असली ताकत है। साथ मिलकर, हम एक ऐसे भविष्य की आशा करते हैं जहॉ हमारे छात्र न्याय और सकारात्मक बदलाव के पथप्रदर्शक बनकर उभरें।

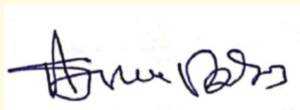

श्री अनिल वार्ष्णेय
सचिव
नांदगांव शिक्षा मण्डल, राजनांदगांव

प्रशासक का संदेश

पं.किशोरीलाल शुक्ल विधि महाविद्यालय, राजनांदगांव

पं. किशोरीलाल शुक्ल विधि महाविद्यालय का हिस्सा बनना बहुत सम्मान और जिम्मेदारी की बात है, जो ज्ञान , नैतिकता और न्याय और सामाजिक परिवर्तन के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता से लैस कानूनी दिमाग विकसित करने के लिए समर्पित एक प्रमुख संस्थान है।

हमारे कॉलेज ने हमेशा ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया है जहाँ अकादमिक उत्कृष्टता समग्र विकास से मिलती है । हमारा मानना है कि कानूनी शिक्षा को पाठ्यपुस्तकों और न्यायालयों से आगे जाना चाहिए-इसे प्रत्येक छात्र में चरित्र, तर्क और कर्तव्य की भावना को आकार देना चाहिए। इस विश्वास के साथ , हमने एक ऐसा ढांचा तैयार किया है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, व्यावहारिक प्रदर्शन, सामुदायिक जूड़ाव और व्यक्तिगत विकास को एकीकृत करता है।

हमें उच्च योग्य और समर्पित संकाय सदस्यों की एक टीम का सौभाग्य मिला है जो छात्रों को न केवल अकादमिक रूप से मार्गदर्शन करते हैं, बल्कि गतिशील कानूनी परिदृश्य को नेविगेट करने के लिए आवश्यक कौशल और आत्मविश्वास विकसित करने में भी मद्द करते हैं। हमारा आधुनिक बुनियादी ढांचा, सक्रिय छात्र प्रकोष्ठ और कानूनी जागरूकता पहल सीखने के अनुभव को और बढ़ाती है।

प्रशासक के रूप में, मेरा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारे संस्थान में प्रवेश लेने वाला प्रत्येक छात्र कानून में एक मजबूत आधार, सामाजिक न्याय की स्पष्ट समझ और गर्व और व्यावसायिकता के साथ राष्ट्र की सेवा करने की क्षमता लेकर जाए।

मैं छात्रों , अभिभावकों और आगंतुकों को हमारी वेबसाइट देखने और यह जानने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ कि कैसे पंडित किशोरीलाल शुक्ल विधि महाविद्यालय अकादमिक उत्कृष्टता और सामाजिक प्रतिबद्धता की अपनी विरासत को कायम रखता है।

हार्दिक शुभकामनाएं,

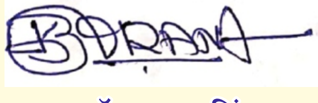

डॉ. आर.एन.सिंह
रक्षा सचिव पदक
प्रशासक
नांदगांव शिक्षा मण्डल, राजनांदगांव

प्रवेश की अंतिम तिथि :-

महाविद्यालय में प्रवेश लेने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है । कुलपति जी की अनुशंसा की अपेक्षा में प्रवेश 14 अगस्त तक दिया जा सकेगा ।

प्रवेश संबंधी औपचारिकताएं व नियम :-

1 प्रवेश संबंधी योग्यता विश्वविद्यालय के अध्यादेश के अनुसार निम्न आधारों पर होगी ।
(क) विधि खण्ड एक में प्रवेश लेने हेतु स्नातक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र ने पूर्णांक का न्यूनतम 45 प्रतिशत (पैतालिस) अंक प्राप्त किया हो । अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु 40 प्रतिशत , अन्य पिछड़ा वर्ग 42 प्रतिशित होगा।

(ख) छात्र को प्रवेश समिति के समक्ष मौखिक साक्षात्कार हेतु स्वंय उपस्थित होना होगा ।

(ग) छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 दिनांक 15.08.2021 द्वारा सभी कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों में आयु सीमा के बंधन को समाप्त किया गया है।

(घ) विधि पाठयक्रम के किसी भी सेमेंस्टर में छात्र अन्य कोई डिग्री या डिप्लोमा या अन्य कोई कोर्स साथ - साथ नहीं कर सकेंगे ।

(ङ) आवेदन पत्र सभी अभिलेख सहित प्रवेश की अंतिम तिथि तक स्वीकार किया जावेगा । सुवाच्य स्पष्ट भरे गये आवेदन के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है -

(1) विधि प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु स्नातक पाठयक्रम की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र तथा अंक सूची मूल व दो प्रतिलिपियों सहित प्रस्तुत करना होगा। मूल अंक - सूची एवं प्रमाण-पत्र सत्यापन होने के बाद लौटा दिये जावेंगे। सेकेण्डरी व हायर सेकेण्डरी की मूल अंक सूची एवं उसकी दो प्रति प्रस्तुत करना होगा। सत्यापन के बाद मूल प्रति वापस कर दी जावेगी । पिछला महाविद्यालय/विद्यालय छोडने का (स्थानांतरण प्रमाण - पत्र/टी.सी.) की मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा जिसे वापस नहीं किया जावेगा ।

(2) विधि खण्ड तीन प्रथम सेमेस्टर में उन्ही छात्रों को नियमित प्रवेश दिया जावेगा जो विधि खण्ड एक व खण्ड दो की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गये है। उन्हें मूल-अंक सूची एवं उसकी दो प्रति प्रस्तुत करना होगा । सत्यापन के बाद मूल अंक सूची वापस कर दी जावेगी ।

(3) (अ) पासपोर्ट साईज की दो फोटो आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर लगाना अनिवार्य है । एक फोटो परिचय पत्र में लगाई जावेगी । कुल 06 फोटो (यूनिफॉर्म में) संलग्न करें।

(ब) हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग के छात्र न होने पर जिस विश्वविद्यालय के अंतर्गत अंतिम परीक्षा में बैठे हो उस विद्यालय का माइग्रेशन प्रमाण पत्र तथा हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश दिया जायेगा ।

(स) प्रवेश योग्यता और प्रावीण्यता के आधार पर दिया जावेगा, प्रवेश देने अथवा न देने के संबंध में प्रवेश समिति की सिफारिश को ध्यान में रखा जावेगा। प्राचार्य महोदय का निर्णय अंतिम होगा।

(द) आपराधिक प्रकरणों में लिप्त अथवा संलग्न छात्रों को प्रवेश नही दिया जावेगा। ऐसे छात्र यदि प्रवेश प्राप्त कर चुके हैं और किसी आपराधिक मामलों में संलग्न पाये जाते है तो उनका प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा तथा उनके द्वारा जमा शुल्क आदि वापस नहीं किया जावेगा।

(इ) किसी भी प्रकार की रियासत फीस पटाने के संबंध में नही दी जावेगी।

(प) किसी भी विधि खण्ड सेमेस्टर के अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा। विधि खण्ड एक के प्रथम सेमेस्टर एवं द्वितीय सेमेस्टर तथा विधि खण्ड दो प्रथम सेमेस्टर पूरक की पात्रता प्राप्त छात्र अगले सेमेस्टर में प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।

(फ) प्रवेश साक्षात्कार के समय या बाद में आवेदन पत्र पर अभिभावक के हस्ताक्षर लिये जावेगे, शंका होने पर बाद में भी अभिभावक से उनके हस्ताक्षर की वास्तविकता की जांच कराई जा सकती है।

(च) विद्यार्थी को प्रवेश आवेदन के साथ रक्त समूह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

महाविद्यालय में छात्र की उपस्थिति :-

(1) विश्वविद्यालय की परीक्षा में वे ही विद्यार्थी प्रविष्ठ हो सकेंगे जिनकी उपस्थिति महाविद्यालय की कक्षाओं में न्यूनतम 75% होगी ।

(2) किसी छात्र की उपस्थिति 75% से कम हो तो ऐसे विद्यार्थी को न्यूनता का कारण दर्शाते हुए प्रमाण पत्र सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। संतोषजनक कारण होने पर उपस्थिति की न्यूनता पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जावेगा । लेकिन उस स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमति प्राप्त होने पर ही छात्र परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।

(3) अत्यधिक अनियमित उपस्थिति पर विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा।

(4) किसी अपरिहार्य कारण से विद्यार्थी महाविद्यालय में आने में असमर्थ हो तो विधिवत आवेदन पत्र सप्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
(5) प्रत्येक कालखण्ड (पीरियेड) में नियमित उपस्थिति अनिवार्य है, पढ़ाई के समय कक्षा से बाहर धूमने वाले विद्यार्थियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की पात्रता :-

1 विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने की पात्रता के लिए प्रत्येक विषय की कक्षाओं में 75% उपस्थिति छात्र के लिए अनिवार्य है। उपस्थिति कम होने पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नही दी जावेगी। जिन छात्रों की उपस्थिति पर्याप्त नहीं होगी, उन्हे परीक्षा में बैठने से वंचित होना पड़ेगा ।

2 छात्रों को लेक्चर, टयूटोरियलए प्रायोगिक सेमीनार एवं कार्यशाला कक्षाओं में उपस्थित होना पड़ेगा। विधि खंड दो एवं तीन के छात्रों को प्रायोगिक प्रशिक्षण के लिए प्राचार्य महोदय एवं निर्धारित प्राध्यापकों के निर्देशन में कार्य करना होगा। प्रायोगिक प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नही दी जावेगी।

अनुशासन :-

1. किसी विद्यार्थी को किसी प्रकार प्रताडित करना (रैगिंग) दण्डनीय अपराध है। इस कार्य में किसी भी प्रकार भाग लेने वाले या उसे प्रताडित करने वाले छात्र के विरूद्व आपराधिक प्रकरण दर्ज कर महाविद्यालय से तुरंत निष्कासन की कार्यवाही की जावेगी । छ.ग. शैक्षाणिक संस्थाओं में प्रताड़ना (रैगिंग) का प्रतिषेध अधिनियम 2001 के अंतर्गत छात्र या छात्रा को 5 वर्ष तक का कारावास या रूपये 5 हजार तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकेगा ।

2. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ रखेंगे और आपस में शिष्टता का व्यवहार करेंगे। छात्रगण प्राचार्य महोदय एवं प्राध्यापकों और सीनियर छात्रों के प्रति आदर का व्यवहार करेंगे। इस महाविद्यालय का लक्ष्य विधि की शिक्षा द्वारा छात्रों को सफल नागरिक बनाना है ताकि वे देश व समाज के विकास में पूर्ण योगदान दे सकें।

3. छात्रों को प्राचार्य महोदय एवं प्राध्यापकों की आज्ञा का पालन करना होगा। महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के नियमों को मानना होगा। इसका उल्लघंन होने पर अनुशासन की कार्यवाही की जा सकेगी।

4. सभी पाठयेतर कार्यक्रम कालेज कौसिंल द्वारा अनुमोदित तथा महाविद्यालय की गरिमा के अनुरूप होंगे ताकि सम्मिलित निधि का अपव्यय न हो।

5. महाविद्यालय द्वारा पिकनिक, पर्यटन आदि की अनुमति नहीं दी जावेगी।

6. स्नेह सम्मेलन, वार्षिकोत्सव एवं शपथ ग्रहण के अतिरिक्त अन्य आयोजन किए जाने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

7. महाविद्यालय की चल अचल संपत्ति फर्नीचर पेड पौधे पुस्तक आदि को नुकसान पहुंचाने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त हो सकेगा एवं क्षतिपूर्ति करनी होगी।

8. राजनैतिक गतिविधियॉ सभा हड़ताल एवं नारेबाजी वर्जित है। हर समस्या का निराकरण आपसी सद्भाव एवं विचार - विमर्श से किया जावेगा।

9. छात्र महाविद्यालय में शांतिपूर्ण वातावरण बनाये रखेंगे। धूम्रपान करने, नशा करने या गंदगी फैलाने पर अर्थदंड होगा।

10. छात्र अपना आई कार्ड हमेशा धारण करें।

11. विद्यार्थी निर्धारित ड्रेस कोड (यूनीफॉर्म) का पालन करेंगे।

पुस्तकालय :-

1. पुस्तकालय से ली गई पुस्तक लेने की तारीख से सात दिनों के भीतर वापस न करने पर प्रतिदिन 5/- की दर से विलंब शुल्क देना होगा।

2. एक छात्र को एक समय में एक ही पुस्तक दी जावेगी।

3. पुस्तक को विकृत करने, गंदा करने, पन्ने फाड़ने, अन्डरलाइन करने पर पूरी पुस्तक की कीमत वसूल की जावेगी ।

4. पुस्तक गुमने पर दूसरी नई पुस्तक वापस करना होगा। अन्यथा कीमत देनी होगी।

5. पुस्तक लेते समय छात्र को अपना परिचय पत्र पुस्तकालय पत्रक प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

छात्रवृत्ति :-

1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्गा के छात्रों को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पात्रता अनुसार छात्रवृत्ति मिल सकती है ।

2. छात्रवृत्ति हेतु प्रवेश लेते समय छात्र को आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3. छात्रवृत्ति की पात्रता होने पर उनके आवेदन में पटाये गये शुल्कों का विवरण प्रतिपूर्ति हेतु प्रमाणित किया जावेगा ।

4. अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछडा वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति कक्षा में उनकी उपस्थिति कम होने पर रोकी जा सकेगी।

अध्यापन सत्र :-

1. विधि की कक्षाएं सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक होंगी।

2. इस निर्धारित अवधि में परिवर्तन का अधिकार कालेज प्रशासन का रहेगा।

शैक्षणिक प्रोत्साहन पुरस्कार :-

वार्षिक परीक्षा परिणाम के आधार पर छात्र-छात्राओं को विशेष प्रोत्साहन के उदेश्य से अधिकतम अंक पाने वाले को वार्षिकोत्सव में स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। जिनका विवरण निम्नानुसार है-

1. स्व. श्री रामजीलाल खंडेलवाल स्मृति गोल्ड मेडल - विधि संकाय विश्वविद्यालय परीक्षा की प्रावीण्य सूची में स्थान पाने पर।

2. स्व. श्री बी. एन. राय स्मृति गोल्ड मेडल।

3. स्व. श्री हरिप्रसाद अग्रवाल स्मृति गोल्ड मेडल।

4. स्व. श्री छोटेलाल रामशंकर तिवारी स्मृति गोल्ड मेडल।

5. स्व. श्री अब्दुल लतीफ, अधिवक्ता स्मृति गोल्ड मेडल।

6. स्व. पं. किशोरीलाल शुक्ल अभिनंदन गोल्ड मेडल।

7. स्व. श्री केदारनाथ डागा स्मृति गोल्ड मेडल।

8. स्व. श्री संतन भगवान मिश्र स्मृति गोल्ड मेडल।

9. स्व. कु. कीर्ति मिश्रा स्मृति स्वर्ण पदक।

10. स्व. श्री मदनलाल गोमास्ता स्मृति गोल्ड मेडल।

मेधावी छात्रों के अन्य प्रकार से प्रोत्साहित करने की भी योजना महाविद्यालय की है।

अध्यापन शुल्क का विवरण :-

1. हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग के नियमित छात्र नामांकन न होने पर नामांकन शुल्क विधि अनुरूप अतिरिक्त देय होगा।
2. छत्तीसगढ से बाहर से आये छात्रों को आगमन शुल्क 360 रूपये अतिरिक्त जमा करना होगा ।
3. उपनाम परिवर्तन शुल्क 180/- रूपये लगेगा ।
4. विधिखण्ड प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों को संकाय परिवर्तन शुल्क 150/- रूपये देना होगा।
5. विधिखण्ड एक, विधि खण्ड दो एवं विधिखण्ड तीन के प्रथम सेमेस्टर के लिए छात्रों को रूपये 9000/- अध्यापन शुल्क, द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों को 9000/- रूपये अध्यापन शुल्क का भुगतान करना होगा ।
6. विधि खण्ड दो एवं तीन के उपरोक्त उल्ले खित शुल्क में प्रायोगिक प्रशिक्षण शुल्क सम्मिलित है।
7. प्रत्येक विधिखण्ड के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक वर्ष के प्रथम सेमेस्टर का अध्यापन शुल्क अन्य समस्त शुल्क के साथ प्रवेश के समय देना होगा तथा द्वितीय सेमेस्टर का अध्यापन शुल्क प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण होने अथवा एक विषय में पूरक की पात्रता होने पर द्वितीय सेमेस्टर के अध्यापन प्रारंभ होने के पूर्व जमा करना होगा ।

नोट :- महाविद्यालय में प्रवेश के समय ली जाने वाली शुल्क का विवरण (यहॉ पर रखना हैं)

हसुः पङु र ब9 ः ॅपइ इ प क्ऊे एप ङ्(ण03+04ङ्

ङुत्रः	बस	हपमइ उप		क्चि9 उप		चंचि9 उप	
		हपमइ र ुबुश्र्जी	द्वितीय सेमेस्टर	प्रथम सेमेस्टर	द्वितीय सेमेस्टर	प्रथम सेमेस्टर	द्वितीय सेमेस्टर
1	प्रवेश शुल्क	1500.00		1500.00		1500.00	
2	शैक्षणिक शुल्क	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00
3	स्थापना विकास	300.00		300.00		300.00	
4	सम्मिलित निधि	200.00		200.00		200.00	
5	सुरक्षा निधि	200.00		200.00		200.00	
6	पुस्तकालय शुल्क	200.00		200.00		200.00	
7	सांस्कृतिक शुल्क	300.00		300.00		300.00	
8	छात्र संघ प्रीड़ा परिचय पत्र शुल्क	300.00		300.00		300.00	
9	भवन निधि	1000.00		1000.00		1000.00	
10	निर्धन छात्र निधि	150.00		150.00		150.00	
11	शारीरिक शिक्षा शुल्क	200.00		200.00		200.00	
12	संचालन समिति कोष	250.00		250.00		250.00	
13	पुस्तकालय सूरक्षा निधि	200.00		200.00		200.00	
		13800.00	9000.00	13800.00	9000.00	13800.00	9000.00

शिक्षण शुल्क प्रति सेमेस्टर :-

शिक्षण शुल्क विधि खण्ड एक - प्रथम सेमेस्टर - रू. 9000/-
द्वितीय सेमेस्टर - रू. 9000/-

शिक्षण शुल्क विधि खण्ड दो - प्रथम सेमेस्टर - रू. 9000/-
द्वितीय सेमेस्टर - रू. 9000/-

शिक्षण शुल्क विधि खण्ड तीन - प्रथम सेमेस्टर - रू. 9000/-
द्वितीय सेमेस्टर - रू. 9000/-

नोट :- विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा समय-समय पर दिया गया दिशा निर्देश एवं फीस अभिवृद्धि तद्समय लागू होगा।

नोट :- (संबधित पाठ्यक्रम के विषयों की सूची रखना हैं)

महाविद्यालय का स्कैनर फीस भुगतान हेतु

डॉ. निमिषा मिश्रा
प्राचार्य

विधि महाविद्यालय के प्राध्यापको के नाम

Teaching Staff

S.No.	Name of the Employee	Designation	Any of the Highest Eligible Qualification	MOBAIL NO.
1	Dr. Nimisha Mishra	Principal	BSL.LLM.PHD.DIPLOMA IN MC.DIPLOMA IPR.OTHER	9754163463
2	Dr. Alka G. Chavan	assistant professor(pariniyam 28)	M.A.LLM.M.Phil.PG.Diploma in Human Rights, Ph.D	9827178139
3	Pro. Sushree Surbhi	Lecturer	B.A.L.L.B, LLM,phd pursuing	8085567778
4	Pro. Shri A.P.Shivastava	Lecturer	M.A, L.L.B, LLM,	9340242920
5	Pro. Shri Atul soni	Lecturer	B.Com.M.Com.PGDCA.L.L.B. L.L.M, Ph.D pursuing	8770819184
6	Pro. Smt. Prerna Tiwari	Lecturer	L.L.B., LLM,	6268955584
7	Pro. shri Pranjal Thakur	Lecturer	B.A., L.L.B, LLM,	9691765594

LL.B. SEMESTER SYSTEM EXAMINATION
LL.B. PART-I (2024-25)
FIRST SEMESTER (July to December)

S. No.	Paper	Max Marks in % Theory Paper	Mini Passing Marks in Theory	Max Marks in % Internal Paper	Mini Passing Marks in Internal
I	Jurisprudence (Legal Method, Indian Legal System and Basic Theory of Law)	**90**	**32**	**10**	**4**
II	Law of Contract – I (GENERAL PRINCIPLES) INCLUDING SPECIFIC RELIEF ACT,1963	**90**	**32**	**10**	**4**
III	Constitution – I	**90**	**32**	**10**	**4**
IV	Law of Tort Including Motor Vehicle Act & Consumer ProtectionLaw	**90**	**32**	**10**	**4**
V	English Legal Language and Writing	**90**	**32**	**10**	**4**
	Total Marks	**450**		**50**	

SECOND SEMESTER (Jan to June)

S. No.	Paper	Max Marks in % Theory Paper	Mini Passing Marks in Theory	Max Marks in % Internal Paper	Mini Passing Marks in Internal
I	Specific Contract-II Including Indian Partnership Act 1932 & Sales of Good Act 1930 And NEGOTIABLE INSTRUMENT ACT 1881	**90**	**32**	**10**	**4**
II	Constitution - II	**90**	**32**	**10**	**4**
III	Criminology , Penology & Victimology	**90**	**32**	**10**	**4**
IV	Family Law –I (Hindu Law)	**90**	**32**	**10**	**4**
V	Family Law – II (Muslim Law)	**90**	**32**	**10**	**4**
	Total Marks	**450**		**50**	

THIRD SEMESTER (July to Dec.)

S. No.	Paper	Max Marks in % Theory Paper	Mini Passing Marks in Theory	Max Marks in % Internal Paper	Mini Passing Marks in Internal
I	Law of Crime- I (Bhartiya Nyaya Sanhita 2023)	**90**	**32**	**10**	**4**
II	Bhartiya Sakshya Adhiniyam, 2023	**90**	**32**	**10**	**4**
III	Labour And Industrial Laws-I	**90**	**32**	**10**	**4**
IV	Labour And Industrial Laws-II	**90**	**32**	**10**	**4**
V	Professional Ethics & Professional Accounting System (Clinical/Practical)	**50**	**18**	**50 (Viva)**	**18**
	Total Marks	**450**		**50**	

FOURTH SEMESTER (Jan to June)

S. No.	Paper	Max Marks in % Theory Paper	Mini Passing Marks in Theory	Max Marks in % Internal Paper	Mini Passing Marks in Internal
I	CG Land Revenue Code , With New Amendments, other Local Law & Rent Control Act 2011)	**90**	**32**	**10**	**4**
II	Administrative Law & Right to Information Act 2005	**90**	**32**	**10**	**4**
III	Bhartiya Nagrik Suraksha , 2023 Juvenile Justice Act, 2015 & probation of offenders act 1958	**90**	**32**	**10**	**4**
IV	Environmental Laws including Wild Life Protection and Animal Welfare	**90**	**32**	**10**	**4**
V	Alternative Dispute Resolution (Clinical/Practical)	**50**	**18**	**50 (Viva)**	**18**
	Total Marks	**450**		**50**	

FIFTH SEMESTER (July to Dec.)

S. No.	Paper	Max Marks in % Theory Paper	Mini Passing Marks in Theory	Max Marks in % Internal Paper	Mini Passing Marks in Internal
I	Transfer of Property Act 1882 & Easement Act 1882	**90**	**32**	**10**	**4**
II	Civil Procedure Code 1908 & Limitation Act 1963 & Court Fees Act 1870	**90**	**32**	**10**	**4**
III	Company Law	**90**	**32**	**10**	**4**
IV	Interpretation of Statutes	**90**	**32**	**10**	**4**
V	Drafting, Pleading and Conveyance (Clinical/Practical)	**-**	**-**	**100 (Viva)**	**36**
	Total Marks	**360**			**40**

SIXTH SEMESTER (Jan to June)

S. No.	Paper	Max Marks in % Theory Paper	Mini Passing Marks in Theory	Max Marks in % Internal Paper	Mini Passing Marks in Internal
I	Intellectual Property Law	**90**	**32**	**10**	**4**
II	Human Right and Public International Law	**90**	**32**	**10**	**4**
III	Cyber Law & IT Act 2000	**90**	**32**	**10**	**4**
IV	Law of Taxation & Good & Service Act 2017	**90**	**32**	**10**	**4**
V	Moot Court exercise and Internship (Clinical/Practical)	**70**	**25**	**30 (Viva)**	**11**
	Total Marks	**450**	**25**	**50**	

नोट :– Syllabus में विश्वविद्यालय द्वारा परिवर्तन किये जाने पर तदनुसार संशोधन कर अध्यापन किया जावेगा।

डॉ. निमिषा मिश्रा
प्राचार्य

महाविद्यालयीन के गौरव

विश्वविद्यालय की प्रांवीण्यता क्रम में विद्याथियों की सूची

Sr.No.	Neme		Renk	Year
1.	NISHI SONI	H.Y.U.	1	2024
2.	NEHA JHA	H.Y.U.	2	2024
3.	PRITI SAHU	H.Y.U.	3	2024
4.	NETAL GANDHI	H.Y.U.	5	2024
5.	RIYA JAIN	H.Y.U.	6	2024
6.	VANI SHARMA	H.Y.U.	7	2024
7.	VANDANA GAREWAL	H.Y.U.	8	2024
8.	NARESH KUMAR BISWAS	H.Y.U.	3	2022
9.	KU. KALAWATI	H.Y.U.	8	2022
10.	KU. PRIYANKA SAHU	H.Y.U.	9	2022
11.	KU. NITYA DEWANGAN	H.Y.U.	10	2022
12.	KU. AARTI JAIN	H.Y.U.	2	2020
13.	POHKARAJ BAXI	H.Y.U.	3	2019
14.	KU. MANGLA SETHIE	H.Y.U.	3	2018
15.	KU. CHANDANI GUPTA	H.Y.U.	2	2016
16.	PRANJAL THAKUR	H.Y.U.	3	2016
17.	KU. MEGHA VALDE	H.Y.U.	4	2016
18.	SHEAIDI BAGOGA	H.Y.U.	9	2016
19.	KU. SWEETY THAKUR	H.Y.U.	4	2014
20.	KU. NIDHI KOTHARI	H.Y.U.	6	2013
21.	KU. MONIKA AGRAWAL	H.Y.U.	2	2012
22.	KU. PSAGATI SINGH	H.Y.U.	10	2012
23	KU. BHAVNA	H.Y.U.	8	2011
24.	KU. RASHIDE RAWANI	H.Y.U.	9	2011
25.	KU. DISHA KHANDELWAL	H.Y.U.	3	2010
26.	KU. JULEE JAIN	H.Y.U.	10	2010
27.	KU. SAPNA JAIN	H.Y.U.	3	2009
28.	SMT. BINA KUWZ DHALLA	H.Y.U.	8	2009

महाविद्यालयीन गतिविधियाँ

गणेश उत्सव

विसर्जन

महा आरती

गणेश स्थापना

अर्चना

रास गरबा

गरबा विजेता

ग्रुप फोटो

सामूहिक फोटो

गुजराजी वैशभूषा

संविधान दिवस

अंबेडकर जी को श्रद्धासुमन अर्पित

संविधान दिवस मानते हुये

महाविद्यालयीन गतिविधियाँ

रक्तदान शिविर

रक्तवीरो को प्रमणपत्र

सामूहिक फोटो

मनोरंज गतिविधियाँ

अंगार मोती मे सामूहिक फोटो

शैक्षिणक भ्रमण

छत्तीसगढ़ उच्च न्यालाय में विद्यार्थी

सामूहिक फोटो

अधिवक्ता संघ बिलासपुर

छत्तीसगढ़ उच्च न्यालाय भवन

महाविद्यालयीन गतिविधियाँ

अतिथि व्याख्यान

डॉ. निमिषा मिश्रा द्वारा सेमिनार

प्रो. श्वेता मैडम के द्वारा सेमिनार

स्वच्छता अभियान

स्वच्छता अभियान की ग्रुप फोटो

खेल महोत्सव

कैरम खेलते हुये

बैजमिन्टन ग्राऊड

100 मीटर की दौड

टेबल टेनिस

महाविद्यालयीन गतिविधियाँ

वृक्षा रोपण

वृक्षा रोपण

वृक्षा रोपण

वर्षिक स्नेह महोत्सोव

वार्षिक सम्मेलन की फोटो

ग्रुप फोटो

ग्रुप फोटो

साधारण सभा 2025

राजनांदगांव शिक्षा मंडल 2025 कार्यकारणी समिति

श्री सुरेश एच.लाल
(अध्यक्ष)

श्री किसन खण्डेलवाल
(उपाध्यक्ष)

श्री अनिल वार्ष्णेय
(सचिव)

श्री कमलेश उभरानी
(कोषाध्यक्ष)

श्री उमेश अग्रवाल
(उपसचिव)

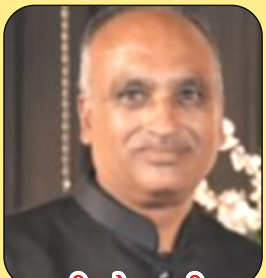
श्री मुकेश राठी
(सदस्य)

श्री किशोर बेलावाला
(सदस्य)

श्री अशोक चौधरी
(सदस्य)

श्री अशोक कोटड़िया
(सदस्य)

श्री नंदकुमार अग्रवाल
(सदस्य)

श्री रामवतार रूगंटा
(सदस्य)

श्री दीपक कोठारी
(सदस्य)

श्री अलोक शुक्ला
(सदस्य)

श्री महेन्द्र कुमार लूनिया
(सदस्य)

श्री रईश अहमद शकील
(सदस्य)

श्री उमाकांत भारद्वाज
(आमंत्रित सदस्य)

egkfo|ky; Hkou

egkfo|ky; dk **GPS** eSi